प्रारूप

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ।

संकल्प

विषय : राज्य स्तर पर पॉलीटेकनिक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम-1995 के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा आयोजित करने के सम्बन्ध में ।

अब तक राज्य के राजकीय पॉलीटेकनीक संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा आयोजित पॉलीटेकनीक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता रहा है । उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में चयन की प्रक्रिया को व्यापक, सरल, स्वच्छ और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिये तथा राज्य स्तर पर श्रम एवं साधन के सदुपयोग के लिये विभागीय स्तर पर आयोजित होने वाली उपरोक्त प्रतियोगिता परीक्षा को राज्य स्तर पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम-1995 के अधीन गठित ''बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद'' के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से यानी वर्ष 2001 ई० से उपरोक्त पॉलीटेकनीक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सत्र-2000 तथा उसके बाद के सत्रों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन राज्य स्तर पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद अधिनियम-1995 के अधीन गठित ''बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद'' के माध्यम से किया जाय ।

3. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद उपरोक्त के अनुसार राज्य स्तर पर पॉलीटेकनीक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रक्रियायें पूरी कर लेगा ।

आदेश : सर्व साधारण की जानकारी के लिए सरकार के उपर्युक्त निर्णय को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

2/2/01

सचिव ।

ज्ञाप संख्या - 200 पटना, दिनांक- 2.2.2001

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के इस अंक की 500 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाय ।

2/2/01

सचिव ।

कृ०पृ०उ०